

11/7/2016

पत्रावली पेश हुई।

यह पत्रावली राजस्व
लोड अदालत फालोअपकेपमें
अरोज आज पेश हुई। हमने
उभय पक्षकारण के बीच राजीनामा
/ समझौता हेतु समझाईश की
परन्तु राजीनामा / समझौता नहीं
हो सका। पत्रावली अवलोकन
से पाया गया कि वकील अर्थी
को अर्थी संख्या (6) की तलब
है मोरिस पेश करने बावजूद
पर्याप्त अवसर दिये जाने के
उपरान्त भी मोरिस पेश नहीं
होए है जो कि CPC प्रावधानों
का उपरान्त उल्लंघन है इस
पत्रावली along complain
of order में धारिज की जाती
है पत्रावली फल में शुमार व नंबर
में अमलदार तारीख दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली